रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०-14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 7 अगस्त, 1990/16 श्रावण, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 जुलाई, 1990.

संख्या एल० एस० जी० (बी) (3) 7/82.—हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट, 1968 (1968 का 19) की धारा 198, 199 और 200 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचितक्षेत्र समिति, नदौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा बनाई गई निम्नलिखित उप-विधियां, जिनको कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने उक्त अधिनियम की धारा 215 (1) के अधीन यथा अपेक्षित पुष्टि कर दी है और जिसका उक्त अधिनियम की धारा 214 द्वारा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन हो चुका है, जन साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है और ये अधिसूचित क्षेत्र समिति नदौन, जिला हमीरपुर की सीमाओं में इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगी :—

1. अधिसूचित क्षेत्र समिति नदौन भवन उप-विधियां; 1990.—(1) किसी भवन का संनिर्माण या पुनः संनिर्माण, करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे आशय की बाबत, सचिव, अधिसूचित क्षेत्र समिति नदौन को, इन उप-विधियों से संलग्न प्ररूप में लिखित रूप में आवेदन करेगा और उसके साथ :—

(क) उस भूमि का जिस पर भवन का संनिर्माण करने का आशय है अनुरेखन, कपड़े पर एक स्थल रेखांक ।

(ख) जैस कि इन उप-विधियों से संलग्न प्ररूप अपनाए जाने वाले विनिर्देश "ख" में विवर्णित हैं।

(2) प्ररूप "क" और "ख" की प्रतियां अधिसूचित क्षेत्र समिति, नदौन के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त की जा सकेंगी।

(3) सरकार के लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य स्थानीय निकाय के नियन्त्रणाधीन नया प्रबन्धाधीन किसी सार्वजनिक सड़क/मार्ग के पार्श्वस्थ किसी स्थल पर संनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी संरचना की दशा में आवेदक, रेखांक और विनिर्देशन तीन प्रतियों में प्रस्तत करगा और रेखांकों का एक पूरा सैट, प्रस्तुत किए जाने पर, समिति द्वारा कार्यपालक इंजिनियर या अन्य सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सूचनार्थ और अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया जाएगा।

टिप्पणी.—रेखांकों का एक पूरा सैट अनुरेखन कपड़े पर होना चाहिए अन्य फैरो प्रतियां हो सकती हैं परन्तु यह तब जबकि समस्त रेखाएं तीक्षण हैं और अक्षर और बिमा स्पष्ट और सुभिन्न है।

2. स्थल रेखांक 1 सैंटीमीटर के लिए 2 मीटर के मापमान में अनुरेखन कपड़े पर खींचा जाएगा और उसमें उपयोग में लाए गए किन्हीं विशेष रंगों और संकेतों को स्पष्ट करने वाली अनुक्रमणिका होगी और निम्नलिखित दर्शित की जाएगी :—

(क) उत्तर दिशा का निदेश,

(ख) स्थल की सीमाएं,

(ग) निकटवर्ती मार्ग के सम्बन्ध में स्थल की स्थिति और मार्ग के सम्बन्ध में यदि कोई हो स्थल का स्तर।

(घ) भवन का स्वरूप ;

(ङ) प्रस्तावित भवन की :—

(i) सभी दिशाओं की निकटवर्ती संरचनाओं ;
(ii) स्थल की सीमाओं के सम्बन्ध में स्थिति ;

(च) स्थल पर या उसके पार्श्वस्थ समस्त नालियों और ग्राहीयों की स्थिति, और

(छ) मापमान जिसके अनुसार अरेखन तैयार किया गया है।

3. स्थल रेखांक में समस्त महत्वपूर्ण विशिष्टताएं जैसे कि स्थल पर या उसके पार्श्वस्थ बाड़ सीमा स्तम्भ तार और विद्युत प्रकाश खम्बे, जिन के साथ उनके तार की लाईनें होगी, वृक्ष, पथ सीढ़ी और नालियां दर्शित की जाएंगी। रेखांक पर अंकित एसी सभी विशिष्टताएं स्पष्ट रूप में लिखी जाएंगीं।

4. भवन अनुरेखन कपड़े पर 1 सै0 मी0 के लिए 1 मीटर के मापमान में खींचा जाएगा और उसमें निम्नलिखित दर्शित की जाएगी :—

(क) प्रस्तावित भवन स्वरूप ;

(ख) प्रयोजन जिसके लिए प्रस्तावित भवन या इसके विभिन्न भाग का उपयोग करने का आशय है (भिन्न कमरों के प्रयोग का वर्णन करने में गोदाम शब्द का उपयोग केवल ऐसे कमरे का वर्णन करने के लिए किया जाए जो केवल भण्डारण के प्रयोजनार्थ रखा गया है और मानव अधिभोग के लिए आशियत नहीं है।

(ग) धरातल और प्रत्येक अतिरिक्त तल का रेखांक और विस्तार जिसके अन्तर्गत गलियारें, सीढ़ियां, दरवाजे और खिड़कियां हैं ;

(घ) पूरे विस्तार सहित प्रस्तावित भवन की ऊंचाई और अनुभाग जिसमें निम्न बातें दर्शित की जाएंगीं :—

(i) भवन के चारों ओर की भूमि के स्तर और उस मार्ग के यदि कोई हो जिस पर भवन का भाग

आने वाला है प्रतिनिदेश से निम्नतम मंजिल की नींव और स्तर ;

(ii) प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई और भवन की कुल ऊंचाई ;

(ङ) भवन की मुख्य दिवारों से बाहर सभी निकले हुए भागों की स्थिति और विस्तार; और

(च) समस्त प्रस्तावित मुत्रालयों, नालियों, हौदियों, शौचालयों, और शौच गृहों की स्थिति ।

5. स्थल रेखांक और भवन रेखांक दोनों में, विद्यमान विशेषताएं अर्थात् भवन, वृक्ष और अन्य भूमि चिन्ह काले रंग में विद्यमान सड़कें भूरे रंग में नालियां-नाले नीले रंग में प्रस्तावित नई विशेषताएं लाल रंग में और जिस किसी ढांचे को गिरा देने का प्रस्ताव है उसे हरे रंग में दर्शित किया जाएगा ।

6. समिति किसी भी व्यक्ति से जिसने किसी भवन के संनिर्माण या पुनः संनिर्माण की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, उप-विधि सं0 (1) में अपेक्षित रेखाकों और विनिर्देशनों के अतिरिक्त, बाहरी दीवारों, विभाजक दीवारों, आधार छतों, भीतरी छतों, तलों, सीढ़ियों अंगीठियों और चिमनियों के लिए प्रयोग की जाने वाली संनिर्माण सामग्री ढ़ग सम्बन्धी पूरे विनिर्देशनों सहित, प्रस्तावित भवन की पूरी ऊंचाई और उसके अतिरिक्त अनुभागों को देने की अपेक्षा कर सकेगी ।

7. ऐसे भवन के मामले में जिसे कारखानों के रूप में प्रयोग किए जाने की संभावना है उससे सम्बन्धित पर्याप्त आवास व्यवस्था की जाएगी ।

8. प्रत्येक भवन की दीवारों का संनिर्माण, अज्वलनशील सामग्री से किया जायेगा और लग हुए गृहों के मध्य विभाजक दीवारों के मामलों में उनकी मोटाई 23 सैं0 मी0 से कम नहीं होगी ।

9. सभी भवनों की छतें अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा अनुमोदित की जाने वाली अग्निरोधी सामग्री से बनाई जाएगी । छत स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगी और उसमें गटर, वर्षा पानी पाइपों और बर्फ रक्षक (स्नोगार्ड) की व्यवस्था की जाएगी । नमी को रोकने के लिए धरातल सतह से ऊपर ईटों की दूसरी और तीसरी परत के मध्य कठोर सामग्री, जैसे कि असफाल्ट, स्लेट, सीसा या कंचित ईंटों से बनी नमी रोधी परत मिलाई जाएगी ।

10. (1) कुर्सी की सतह पर प्रत्येक भवन का तल सीमैंट कंकरीट का बनाया जाएगा यदि धरातल पर कोई कमरा मानव अधिभोग के लिए आशयित है तो वह तल उसी स्तर पर होगा जिस पर नमी-रोध परत है और उसे सीमैंट कंकरीट के स्थान पर लकड़ी का बनाए जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

(2) समिति मानव अधिभोग के लिए आशयित तल की कुर्सी की सतह पर लकड़ी से बनाने की स्वीकृति दे सकेगी;

परन्तु यह तब जब कि यह देवदार के रंदा किए गए जिहवाड़ और खांचेदार देवदार के ऐसे तख्तों से बनाए गए हैं जो मिले हुए जोड़ के साथ ऐसी रीति से सावधानी पूर्वक विधाए गए हों जिससे उसमें 15 सैं0 मी0 का खुला वायु स्थान रहे ; परन्तु यह और कि लकड़ी के तल परत नमी रोधी परत से 15 सैं0 मी0 ऊपर है ऐसा वायु स्थान पर्याप्त रूप से संचालित होना चाहिए जिससे बाहरी वायु के लिए कम से कम 15 सैं मी0 × 25 सैं0 मी0 माप के खुले स्थान द्वारा वायु का निर्बाध परिसंचारण हो सकें और उसमें कीड़े-मकौड़े को रोकने के लिए सूक्ष्म आच्छादित तार की जाली की व्यवस्था होनी चाहिए ।

प्रत्येक 13.95 वर्ग मीटर तल क्षेत्र के लिए कम से कम एक ऐसे खुले स्थान की व्यवस्था की जाएगी । किसी भी स्थिति में दो से कम ऐसे संवातकों का उपबंध नहीं किया जायेगा ।

11. प्रत्येक रहने या सोने के कमरे में अंगीठी की व्यवस्था की जाएगी । ऐसे उपयोग की जाने वाली किसी अंगीठी का संनिर्माण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक इसके नीचे और आसपास के फर्श को 90 स0 मी0 की चौड़ाई तक मिट्टी की टाईलों, कंक्रीट या किसी अन्य अग्निसंह पदार्थ से आवृत करके अग्निसंह नहीं बना दिया जाता है ।

12. प्रत्येक अंगीठी में उसका प्रयोग करने से पूर्व धुएं को बिना किसी बाधा के बाहर निकालने के लिए लोहे, ईंटों या पत्थर की धुआंकस चिमनी की व्यवस्था की जाएगी।

13. कोई भी धुआंकस उसके निकास स्थान के सिवाए, जिसे कम से कम 30 सैं0 मी0 मोटी अज्वलन-शील सामग्री लगा कर सुरक्षित किया जाएगा कि वह ऐसी किसी दीवार या संरचना के जो ज्वलनशील सामग्री से बनाई गई है, 45 सैं0 मी0 भीतर से हो कर जाए या रहे।

14. कोई खुली मल-नाली किसी भवन में रहने या सोने के कमरे के रूप में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने के लिए आशयित किसी कमर में से हो कर नहीं निकाली जाएगी।

15. किसी भी नाली की संरचना किसी भवन की किसी दीवार की मोटाई के भीतर नहीं की जाएगी।

16. छत्त के जल निकास के लिए सभी स्टैक पाईपें, ढलवां लोहे या जी0 आई0 शीट के होंगे जो 24 एस0 डब्ल्यू0 जी0 से पतली नहीं होगी।

17. रसोई-गृह भलीभांति प्रकाशमय और संवातित ऐसे कमरे में होगा जिसमें रूढ़ि के अनुसार भोजन तैयार किया जा सके और रसोई गृह में धुआं फैलाने से रोकने के लिए प्रभावकारी धुंआकस या अन्य व्यवस्था के साथ उपयुक्त अंगीठी की व्यवस्था और एक उपयुक्त सिंक की व्यवस्था की जाएगी जिसमें उपयोग के उपरान्त भोजन पकाने के बर्तन या पलेट आदि धोये जा सकें। रसोई में दो ताखों वाली दीवार की अलमारी का उपबन्ध भी किया जाएगा। वह दीवार में अंगीठी से दूर लगाई जाएगी और जाली वाली छेददार ईंटों से पर्याप्त संवातित और मक्खियों से सुरक्षित रखी जाएगी। रसोई गृह के दरवाजों और खिड़कियों को उन पर तार की जाली की व्यवस्था करके मक्खी-रोधी बनाया जाएगा।

18. प्रत्येक शौचालय, शौचगृह, स्नानगृह और पाक स्थल में, गलेज स्टोन बेयर पाईपों या अन्य अमेध सामग्री से निर्मित नाली की व्यवस्था की जाएगी और जहां कोई अन्य विकल्प नहीं वहां वह शौचालय, शौचगृह या पाक स्थल के बहाव को नगर निगम की नाली से जोड़ेगी :

परन्तु जहां मल निकास संयोजन संभव है, वहां समस्त घरेलू मल-जल को, जल पद्धति से अवश्य जोड़ा जाना चाहिए और जहां तक संभव हो सभी पुराने/नए घरों में शुष्क शौचालयों के स्थान पर स्वच्छालन/फलश या जल बहाऊ शौचालयों का उपबन्ध किया जाना चाहिए।

19. प्रत्येक शौचालय, शौचगृह और मूत्रालय आकार में कम से कम 90 सैं0 मी0 × 90 सैं0मी0 (आंतरिक विस्तार) का होगा और दीवार तथा दीवारों और फर्श से जोड़ सफाई में सुविधा प्रदान करन क लिए गोलाकार बनाए जाएंगे।

20. चिनाई शौचालय और शौचगृह की, जो शुष्क पद्धति के हैं इस प्रकार संरचना की जाएगी कि समग्र ठोस पदार्थ सीध धातु या मिट्टी के और समिति द्वारा अनुमोदित प्रकार के चलपात्र में गिर जो सीट के निकट नीचे फिट किया गया हो।

21. प्रत्येक शौचालयों, शौचगृह और मुत्रालय का फर्श :—

(क) अमेध चिनाई, सामग्री असफाल्ट टाईल या सीमेंट की होगी,

(ख) उसका प्रत्येक भाग शौचालय, शौचागृह या मूत्रालय को जोड़ने वाली सतह या अग्रभाग के तल से कम से कम 8 सैं0 मी0 ऊंचाई पर होगा,

(ग) चिकना बनाया जाएगा या उसकी ढलान नाली की और इस प्रकार होगी कि समग्र तरल पदार्थ जल्दी से बह जाए।

22. प्रत्येक शौचालय, शौचगृह, मूत्रालय, फर्श के ऊपर 90 सैं0 मी0 की ऊंचाई तक की दीवारें और प्रत्येक शौचालय और शौचगृह में सीट, धातु या चिनाई सामग्री की होगी परन्तु युरोपीय प्रकार के शौचघर की स्थिति में सीट लकड़ी की भी हो सकेगी।

23. प्रत्येक शौचालय, शौचगृह, शौच प्रर्याप्त रूप से संवातित होगा जो किसी भवन में या उसके निकट शौचालय, शौचगृह, मूत्रालय स्थित होने की दशा में ऐसा खुला स्थान/स्थानों को छोड़ कर किया जाएगा जो किसी एक दीवार में और छत के यथा साद्धय निकट कम से कम 0.0929 वर्ग मीटर का होगा और उसका सम्पर्क सीधी खुली हवा से होगा।

24. प्रत्येक मूत्रालय, शौचगृह की संरचना इस प्रकार की जाएगी कि :—

(क) सफाई के प्रयोजनार्थ वहां तक पर्याप्त पहुंच होगी; और

(ख) जब उसका बाहरी दरवाजा खुला हो तो सीटें मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थान से दिखाई नहीं देंगी।

25. (1) कोई व्यक्ति अपने घर में जल स्वच्छालन शौचालय तब तक स्थापित नहीं करेगा जब तक इसे नगरपालिका की मल नाली से नहीं जोड़ा दिया जाता है या जब तक कि समुचित रूप से सुनिश्चित पर्याप्त आकार से सैपटिक टैंक में मल जल को शुद्ध करने की और बहिस्राव को नगरपालिका की मल नाली में या ऐसी मल जल नाली में निकलने की व्यवस्था न हो जिसके बारे में नगरपालिका इंजीनियर और स्वास्थ्य के चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि वह लोक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाए बिना निःस्राव को बहाने में सक्षम हैं ऐसे संस्थापन का संनिर्माण स्वच्छता इंजीनियर के प्रवेक्षणधीन किया जाएगा और प्रयोग किए जाने से पूर्व उसका अनुमोदन नगरपालिका इंजीनियर द्वारा किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, सैपटिक टैंक से निःस्राव का निपटान सतह सिंचाई या अवमृदानाली या बिला पक्की हौदियों द्वारा नहीं करेगा।

26. योरोपीयन या भारतीय प्रकार से शौचधर से भिन्न कोई अन्य शौचगृह भवन के किसी ऊपरीतल में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक चलपात्रों की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है।

27. कोई व्यक्ति प्राईवेट हौदी नहीं बनाएगा :—

(क) यदि उस परिसर के जिसके लिए वह अपेक्षित है 45 मीटर के भीतर नगर निगम नाली है ;

(ख) सिवाय ऐसी हौदियां जो पक्की चिनाई सामग्री की है सिमेण्ट की गई हैं जिसकी सतह पर लोहे के चलपात्र लगे हैं और जिसके साथ हवा बन्द ढक्कन हो जिससे हाथगाड़ी द्वारा मल जल का व्ययन किया जा सके ;

(ग) जब तक उसमें उसकी सफाई के लिए पर्याप्त पहुंच की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है ;

(घ) जब तक उपयुक्त स्थल या ठीक प्रकार का धरातल न होने के कारण आच्छावगर्त बनाना अव्यवहार्य या असम्भव है।

28. मार्ग किसी भवन का कोई भाग जिससे अग्रभाग की रेखा समिति के प्रस्तावों द्वारा नियत की गयी है ऐसे अनुभाग की रेखा से आगे नहीं बनाया जाएगा और न ही किसी भवन का दरवाजा इस प्रकार बनाया जाएगा कि उसके खोलने से मार्ग का अतिक्रमण न हो।

29. कोई भी भवन अधिसूचित क्षेत्र नदौन में सार्वजनिक मार्ग के किनारे के 4.50 मीटर के भीतर नहीं बनाया जाएगा।

टिप्पणी.—यह बाजार क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जहां दुकानों के अग्रभाग की रेखा पहले ही नियत की गई है।

30. मानव अधिभोग के लिए आशयित कोई भी भवन पहाड़ी की ओर 1.50 सैं0 मी0 के भीतर तब तक नहीं बनाया जाएगा जबकि वहां चौड़ाई के 90 सैं0 मी0 से अन्यून और ऐसी पहाड़ी और ऐसी पहाड़ी की ओर भवन के किसी दिवार के प्रत्येक भाग के मध्य आकाश की ओर खुला खाली स्थान न हो :

परन्तु भवन और पहाड़ी के बीच संचार के लिए ऐसे खाली स्थान के आर पार पुल बनाया जा सकेगा या बनाऐ जा सकेंगे किन्तु वे शुष्क क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक स्थान नहीं घेरेंगे।

टिप्पणी.—वह उप-विधि साधारण तथा बाजार क्षेत्र पर लागू नहीं होगी और जहां खुश्क क्षेत्र का उपबन्ध करना संभव नहीं है वहां पहाड़ी की ओर सामने गुहा बनाने की अनुमति दी जा सकेगी।

31. कोई भी व्यक्ति रहने वा सोने के कमरे के रूप में उपयोग के लिए कोई कमरा तब तक नहीं संनिर्मित करेगा जब तक प्रकाश या संवात के प्रयोजन के लिए उसमें एक या अधिक ऐसी खिड़कियों की व्यवस्था नहीं है, जिसका कुछ क्षेत्र दरवाजों और अन्य छिद्रों के साथ मिल कर ऐसे कमरे के तल क्षेत्र के कम से कम एक-चौथाई के बराबर होगा। प्रत्येक ऐसे दरवाजे और खिड़की का संनिर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि पूरे खोले जा सकें।

32. कोई भी व्यक्ति, रहने या सोने के कमरे के रूप में उपयोग किए जाने के लिए कोई कमरा जिसका ऊपरी तल क्षेत्र 13.39 वर्ग मीटर से कम है तब तक नहीं बनाएगा जब तक उसमें वायु का निर्बाध परिचालन न हो।

33. (1) एक तल्ले के भवन की दशा में ऐसे प्रत्येक कमरे की ऊंचाई जो मानव अधिभाग के लिए आशयित है फर्श से छत तक सामने पर 225 सैं0 मी0 से कम नहीं होगी।

(2) एक से अधिक तल्ले के भवन की दशा में जिसमें भूमि तल सम्मिलित है प्रत्येक तल की ऊंचाई भूमि तल की दशा में 255 सैं0 मी0 और प्रत्येक अन्य तल की दशा में 240 सैं0 मी0 से कम नहीं होगी।

(3) किसी भवन का ऐसा प्रत्येक क्षितिज विभाजन जो इस प्रकार से संनिर्मित किया गया है कि उसे वास योग्य बनाया जा सके इस उप-विधि के प्रयोजनार्थ तला समझी जाएगी चाहे ऐसे विभाजन का विस्तार भवन की पूर्ण गहराई या चौड़ाई तक न हो।

(4) इस उप-विधि के प्रयोजनार्थ तल्ले की ऊंचाई की संगणना निम्न प्रकार से की जाएगी :—

(i) एक तल्ले के भवन और एक से अधिक तल्ले के भवन में सब से ऊपर वाले तल्ले की दशा में भवन के भीतर दीवारों के साथ किसी बिन्दु पर फर्श की ऊपरी सतह की ऊंचाई से टाईबीम के नीचे की ओर की ऊंचाई तक या यदि उसमें टाईबीम नहीं है तो बाहरी दीवारों और छत के मिलन बिन्दु तक ;

(ii) एक तल्ले से अधिक के किसी भवन की सब से ऊपर के तल्ले के सिवाए, किसी तल्ले की दशा में फर्श की ऊपरी सतह की ऊंचाई से बीम के ऊपर की ओर की या जोड़ों की ऊंचाई तक जिन पर ऊपरी तल टिका है या यदि वह तल छत बन्द है तो छत की भीतरी ओर की ऊंचाई तक; और

(iii) बाजार क्षेत्र और ऐसे अन्य सभी क्षेत्रों में, जो समिति द्वारा तंग क्षेत्र समझे जाएं, मार्ग के दक्षिण की ओर ससंवत प्रत्येक भवन की संरचना इस प्रकार की जाएगी कि वह अधिक से अधिक $37\frac{1}{2}°$ के भवन कोण में रहे। मार्ग के अन्य और संसवत भवन की दशा में अधिक से अधिक 45° भवन कोण की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

टिप्पणी.—भवन कोण पद से वह कोण अभिप्रेत है जो मार्ग की ऊंचाई पर क्षितिज रेखा और प्रस्तावित भवन के उच्चतर बिन्दु से प्रस्तावित भवन के सामने के मार्ग के दूसरे किनारे तक खींची गई रेखा के मध्य बनता है।

34. (क) एक से अधिक किन्तु तीन से अनाधिक तल्लों क, जिनमें भूमि तल सम्मिलित है, प्रत्येक भवन में कम से कम 90 सैं0 मी0 चौड़ाई की स्पष्ट और निर्बाध सीढ़ी की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) तीन से अधिक तल्लों के जिसमें भूमि तल सम्मिलित है (प्रत्येक भवन में, सब से ऊपरी तल्ले और उससे नीचे के तल्ले के लिए कम से कम 90 सैं0 मी0 की स्पष्ट चौड़ाई की सीढ़ी की व्यवस्था की जाएगी और नीचे क प्रत्यक अतिरिक्त तल्ले के लिए उसकी चौड़ाई म 15 सैं0 मी0 की वृद्धि की जाएगी जिससे पांच तल्ल क भवन की दशा में नितल पर सीढ़ी 135 सैं0 मी0 चौड़ी होगी।

(ग) सीढ़ी में कोई भी सोपान 28 सैं0 मी0 से अधिक ऊंचाई और 25 सैं0 मी0 से कम चौड़ा नहीं होगा।

(घ) प्रत्यक सीढ़ी को इस प्रकार से निर्मित करना चाहिए ताकि उसके सभी भागों में दिन के प्रकाश से उजाला हो सके।

35. कोई भी रास्ता 105 सैं0 मी0 से कम चौड़ा नहीं बनाया जाएगा और दो सीढ़ियों को जोड़ने वाला रास्ता चौड़ी सीढ़ियों के लिए अपेक्षित चौड़ाई के बराबर और स्पष्ट और अवैधरूप में चौड़ा बनाया जाएगा।

36. कोई भी व्यक्ति पांच तल्लों से अधिक का जिसमें भूमितल सम्मिलित है, भवन संनिर्मित नहीं करेगा और कोई व्यक्ति ऐसे दो से अधिक तल्लों का भवन तब तक नहीं संनिर्मित करगा जब तक ऐसे भवनों की बाहरी दीवारें ईंटों, पत्थरों और प्रचलित कंक्रीट की नहीं बनाई जाती हैं।

37. खाद्य पदार्थों के भण्डार करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित प्रत्येक गोदाम की सीमेंट कन्क्रीट की बनायी जाएगी और वह भूमितल की दशा में 15 सैं0 मी0 से कम मोटाई की नहीं होगी और अन्य तल्लों की दशा में प्रचलित सीमेण्ट कंक्रीट की होगी और उसकी डिजाईन अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए।

38. ऐसे भवनों को जो कृषक के द्वारा अपने निवास या कृषि से सहायक प्रयोजन के लिए सक्षमावित्त रूप से अपेक्षित हैं इन उप-विधियों के प्रवर्तन से छूट होगी :

परन्तु यह तब जब ऐसे भवन कृषि क्षेत्रों में या आबादी देह में निर्मित या स्थित हैं।

टिप्पणी---कृषक से इन उप-विधियों के प्रयोजनार्थ ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिसूचित क्षेत्र समिति नदौन की सीमाओं के भीतर भूमि जोत कर अपनी आजीविका का उपार्जन करता है और इसके अन्तर्गत उसके कुटुम्ब के ऐसे सदस्य भी हैं, जो उस पर आश्रित हों।

39. ऐसे नये भवन या पुराने भवन के परिवर्धन की दशा में जिसे समिति द्वारा मंजूरी दी गई है ऐसे किसी भवन या परिवर्धन का अधिभोग करना या अधियोग करने की अनुमति देना तब तक एक अपराध होगा जब तक कि पूरा होन का एक प्रमाण-पत्र स्वामी द्वारा नहीं दिया जाता है और नगरपालिकों, इंजीनियर और स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी और यदि आवश्यक हो जल संर्कभ एवं जल निकास इंजीनियर, विद्युत इंजीनियर द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया जाता है कि भवन मंजूर किया जाएगा, रखांक के अनुसार ही बनाया गया है और कोई अनधिकार परिवर्धन या विचलन नहीं किया गया है। अनुप्रमाण पूरा करने की और काम पूरा होने के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति की संसूचना, 15 दिन के भीतर स्वामी को दी जाएगी।

(प्रारूप-क)

(उप-विधि संख्या 1 देखें)

(अगली सभी परिविष्टियां अवेदक द्वारा भरी जानी हैं)

प्रेषक

. . . . . .

. . . . . .

सेवा में,

सचिव,

अधिसूचित क्षेत्र समिति, नादौन।

मैं एतद्द्वारा . . . . . में स्थित संलग्न प्ररूप 'ख' में यथातिर्दिष्ट भवन के संनिर्माण/पुनः संनिर्माण करने की अनुज्ञा के लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 200 के अधीन आवदन करता हूं।

मैं समिति की उप-विधियों द्वारा यथा अपेक्षित रेखांक चित्र और विनिर्देशालों की दो प्रतियां संलग्न करता हूं

हस्ताक्षर. . . . .

तारीख. . . . .
विनिर्देशन. . . . . .

प्रारूप "क"

(अगली सभी प्रविष्टियां अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा भरी जानी है)

आवेदन-पत्र की संख्या . . . . . .

भवन का स्थान . . . . . (मार्ग स्थान आदि का नाम)
आवेदन का सार . . . . . .
सचिव द्वारा तारीख . . . . . को प्राप्त किया गया।

सचिव के हस्ताक्षर।

सचिव की तारीख . . . . . को वापस किया गया।

सचिव के हस्ताक्षर।

रिपोर्ट के लिए नगरपालिका इंजीनियर को तारीख . . . . . को अग्रेषित
(अग्रेषन अधिकारी के हस्ताक्षर) स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट के लिए अग्रेषित।

सचिव के हस्ताक्षर।

तारीख . . . . . को सचिव को वापस किया गया।

(सचिव) के हस्ताक्षर) . . . . . ।
समति के आदेश का सार . . . . . ।

सचिव के हस्ताक्षर।

प्रारूप "ख"

प्रस्तावित भवन संनिर्माण पुनः निर्माण का विनिर्देशन गृह के पूरा या उसके प्रचुर भाग . . . . . के सनिर्माण और पुनः निर्माण की स्थिति में :—

(क) गृह के पुनः सनिर्माण की दशा में पुनः सनिर्माण किए जाने वाले गृह की संख्या . . . . . .
(ख) वह प्रयोजन जिसके लिए भवन का उपयोग किया जाना आशयित है . . . . . .
(ग) दीवारों, दरवाजों और छतों के सनिर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री . . . . . .
(घ) जितने तल्लों का भवन बनाया जाना है, उनके संख्या . . . . . .
(ङ) सभी दरवाजों, खिड़कियों और संवातन द्वारों की स्थिति और उनका विस्तार,

(च) निवासियों की अनुमानित संख्या जिन्हें निवास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है . . . . . .
(छ) शौचालयों की संख्या जिनका उपबंध किया जाना है . . . . . .
(ज) क्या स्थल पर पहले निर्माण किया गया है या नहीं जो अधिभोग के लिए उपयुक्त है . . . . . .
(झ) भवन के सामने निर्बाध गुजरने का रास्ता . . . . . .
(ण) निर्बाध वायु संचारण कूड़ा-कर्कट को उठाना और अग्नि के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए भवन के चारों ओर छोड़ा जाने वाला स्थान . . . . . .
(ट) छत और भूमि के गृह जल निकास के निपटान का ढंग . . . . . .
(1) यदि भवन किसी मार्ग से संसक्त है तो निकटवर्ती भवनों के साथ अग्रभाग की रेखा . . . .
(2) छोटे-मोटे परिवर्त्तन या परिवर्धन की स्थिति में . . . . . .
(क) प्रस्तावित परिवर्त्तनों या परिवर्धनों का वर्णन . . . . . .
(ख) ऐसे परिवर्त्तनों या परिवर्धनों में उपयोग की जाने वाली सामग्री . . . . . .

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव स्थानीय स्वशासन विभाग ।

[*Authoritative English Text of Notification No. L.S.G. (B) (3) 7/82, dated* 23-7-90 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd July, 1990

No. LSG (B) (3) 7/82.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 215 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confirm the following bye-laws made by the Notified Area Committee, Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh under section 198, 199 and 200 of the said Act, the same having been previously published as required by section 214 of the said Act and are hereby published for general information and shall come into force within the limits of Notified Area Committee, Naduan in District Hamirpur, Himachal Pradesh from the date of their publication in the Himachal Pradesh Rajpatra :—

1. *The Natified Area Committee, Nadaun Building Bye-Laws*, 1990.—(1) Every person intending to construct or reconstruct any building shall give notice of such intention in writing to the Secretary of the Notified Area Committee, Nadaun in Form "A" appended to these bye-laws and shall, at the same time, submit,—

(*a*) a site plan on tracing cloth of the land on which it is intended to construct or reconstruct the building ;
(*b*) a plan of the building which it is proposed to construct or reconstruct; and
(*c*) the specifications to be adopted as detailed in Form "B" appended to these bye-laws.

(2) Copies of Forms "A" and "B" may be obtained free of charge from the office of the Notified Area Committee, Nadaun.

(3) In the case of a structure proposed to be constructed on a site adjacent to a public street/road under the control of management of the Public Works Department of Government or of any other local authority, the applicant shall submit the plans and specifications in triplicate and one complete set of the plans shall, immediately on presentation, be

forwarded by the committee to the Executive Engineer or to the other local body concerned for information and approval.

Note.—One complete set of plans must be on tracing cloth but the other may be farro copies, provided that all lines are sharp, the lettering and the dimensions are clear and distinct.

2. The site plan shall be drawn on tracing cloth with a scale of 1 cm. to 2 metres and shall bear an index explaining any special colours and symbols used and shall show,—

(*a*) the direction of North point ;
(*b*) the boundaries of the site ;
(*c*) the position of the site in relation to neighbouring streets and level of the site in relation to the streets, if any, on which it abuts ;
(*d*) the nature of the building ;
(*e*) the position of the proposed building in relation to—
  (*i*) neighbouring structures on all sides, and
  (*ii*) the boundaries on the site ;
(*f*) the position of all drains and receivers on or adjacent to the site ; and
(*g*) the scale to which drawn.

3. The site plan shall also show all important features, such as any fencing boundary pillars, telegraph and electric light poles with their lines of wire, trees, paths, steps and drains on or adjacent to the site. The names of all such features marked on the plans shall be clearly written.

4. The building plan shall be drawn on tracing cloth with a scale of 1 cm. to 1 metre and shall show,—

(*a*) the nature of the proposed building ;
(*b*) the purpose for which it is intended to use the proposed building and its various parts (in describing the use of various rooms the word "Godown" may be used only to describe a room which is meant for storage purpose only and which is not intended for human occupation) ;
(*c*) the plan and dimensions of the ground floor and of every additional floor including corridors, stairs, doors and windows ;
(*d*) a section and an elevation of the proposed building with full dimensions showing ;
  (*i*) the foundation and the level of the lowest floor with reference to the level of the ground all around the building and to the centre of the street, if any, on which the front of the building is to abut; and
  (*ii*) the height of each storey and the total height of the building ;
(*e*) the position and dimensions of all projections beyond the main walls of the building ; and
(*f*) the position of all proposed urinals, drains, cesspools, latrines and privies.

5. In both the site plan and the building plan the existing features namely buildings, trees and other land marks shall be shown in black, existing roads in brown, drains nallah in blue, proposed new features in red and any proposed demolition in green.

6. The committee may require any person who has submitted an application for sanction to construct or reconstruct any building to submit in addition to the plan and specifications required by bye-law No. 1, the complete elevation and additional sanctions of the proposed building together with full specifications regarding as to the materials and methods of constructions to be used for external walls, partition walls, foundations, roofs, ceilings, floors, stair cases, fireplaces and chimneys.

7. In the case of a building likely to be used as a factory, adequate provision shall be made for housing accommodation in connection therewith.

8. The walls of every building shall be constructed of non-inflammable material and in the case of partition walls between adjoining houses, their thickness shall be not less than 23 cm.

9. All buildings shall be roofed with a fire resisting material to be approved by the Committee. The roof shall be of sufficient strength and shall be provided with adequate gutters, rain water pipes and snow guards. A damp proof course composed of some hard impermeable material such as asphalt, slate, lead or vitrified bricks shall be included between the second and third course of bricks above the ground level in order to prevent dampness.

10. (*i*) The floor of every building above its plinth level shall be made of cement concrete. If a room on the ground floor is intended for human occupation, the floor shall be at the same level as the damp-proof course and may be allowed to be of wood instead of cement concrete.

(*ii*) The Committee may sanction a floor intended for human occupation at plinth level to be built of wood :

Provided that this is made of planned, tongued and grooved or rebuted deodar planks laid carefully with close joints in such manner as to permit of a clear air space of 15 cm. between the floor joints and the ground :

Provided further that the level of the wooden floor is 15 cm. above that of the damp proof course. Such air space must be adequately vantilated to allow free circulation of air by openings measuring at least 15 cm. $\times$ 23 cm. to the external air and provided with fine marked wire gauge to exclude vermin. At least one such opening shall be provided for every 13.95 square metres of floor area. In no case shall fewer than two such ventilators be provided.

11. Every living or sleeping room shall be provided with a fire place. No fire place to be used as such shall be constructed unless the floor beneath it and around it for a width of 90 cm. has been rendered fire proof by being covered with the earthen ware tiles or concrete or some other fireproof substance.

12. Every fire place shall, before the use as such, be provided with a chimney with an iron, brick or stone flue to afford free means of exit for smoke.

13. No flue shall be so constructed as to pass through or be within 45 cm. of any wall or structure made of inflammable material except at its point of exit, or on which it shall be rendered safe by a causing of un-inflammable material at least 30 cm. thick.

14. In no building shall any open sewer or drain pass through any room used or intended to be used as living or sleeping room.

15. No drain shall be constructed within the thickness of any wall of any building.

16. All stack pipes for the disposal of roof drainage shall be of cast iron on G.I. sheet not thinner than 24 S.W.G.

17. The kitchen shall consist of a wall lit and ventilated room in which food could be prepared according to custom, a proper fire place with an effective flue, or other arrangement to prevent any smoke invading the kitchen and a suitable sink in which cooking untensils plates, etc. can be washed after use. A wall cupboard with two shelves prepared, shall be provided in the kitchen. It shall be placed in the wall away from the fire place and shall be ventilated adequately

with gauge air brick and protected from flies. Doors and windows in the kitchen will be made of fly proof by providing wire gauge on them.

18. Every latrine, privy, urinal, bathroom and cooking place shall be provided with a drain constructed of pipes of glazed storeware or other impervious material and counecting the floor of the latrine, privy, urinal, bathroom or cooking place with a municipal drain :

Provided that where a no sewer connection is possible, connection to the water carried system for all household sullage must invariably be made and wherever possible all old/new houses should be provided with flush or water borne latrines rather than dry ones.

19. Every latrine, privy and urinal shall be at least 90 cm × 90 cm in size (internal dimensions) and all junctions of walls and of the floor and walls shall be rounded in order to facilitate cleaning.

20. Masonry latrines and privies which are on the dry system shall be so constructed that all solids fall directly into a movable receptacle of metal or pottery and of a pattern approved by the committee, fittings close beneath the seat.

21. The floor or every latrine, privy and urinal :—

(*a*) shall be of impervious masonry, asphalt, tiles or cement;

(*b*) shall be in every part at a height of not less than 8 cm above the level of the surface or the front adjoining the latrine, privy or urinal ; and

(*c*) shall be made smooth and shall slope to the drain in such a way that all liquid will flow off quickly.

22. In every latrine, privy and urinal the walls to a height of 90 cm. above the floor, and the seat in every latrine and privy shall be of the metal or masonry, provided that in the case of water-closet of European type the seat may be of wood.

23. Every latrine, privy and urinal shall be provided with adequate ventilation which in the case of latrine, privy or urinal situated in or near a building, shall be constructed by an opening or openings which shall not be less than 0.0929 square metre in area in one of the walls, as near the roof as may be practicable, and communicating directly with the open air.

24. Every latrine or privy shall be so constructed that :—

(*a*) there shall be adequate access thereto for the purpose of cleaning ; and

(*b*) when the outer door thereof is open, the seats shall not be visible from the street or other public place.

25. (1) No person shall install water flushed latrines in his house unless it is connected with the municipal sewer or unless arrangements are made to purify the sewage in a properly constructed septic tank of suitable size and to discharge the effluent into a municipal sewer of in a sullage drain certified by the Municipal Engineer and the Municipal Medical Officer of Health to be capable of carrying off the effluent without danger to the health of the public. Such installations shall be constructed under the supervision of a sanitary engineer and shall be approved by the Municipal Engineer and the Municipal Medical Officer of Health before they are taken into use.

(2) No person shall dispose of the effluent a septic tank by surface irrigation or by sub-soil drainage or into open unlined cess pools.

26. No privy other than a water-closet of European or Indian type shall be placed on any upper floor of a building unless movable receptacles are provided.

27. No person shall construct a private cess pool :—

(*a*) if there is municipal drain within 45 metres of the premises of which it is required ;

(*b*) except a cess pool masonry in line, cemented surface, with an iron movable receptacle and an air tight cover to allow the disposal of sullage by hand carriage ;

(*c*) unless adequate access is provided thereto for the purpose of its cleaning ; and

(*d*) unless it is impracticable, or impossible by reason of lack of a suitable site or because of the nature of the ground, to build a seepage pit.

28. No portion of any building in a street in which a line of frontage has been fixed by a resolution of the committee shall be built to project beyond such line of frontage, nor shall the door of any building be made, so as to encroach on a street when opened.

29. No building shall be constructed within 4.50 metres of the edge of road on a public street in N.A.C., Nadaun.

Note .—This will not apply to the bazar area, where the frontage line of shops is already fixed.

30. No building intended for human occupation shall be constructed within 150 cm. of a hill side unless there is a clear space not less than 90 cm. in width and open to the sky between such hill side and every part of any wall of the building facing such hill side :

Provided that such clear space may be traversed by a bridge or bridges giving communication between the building and the hill side but covering not more than 25 per cent of the dry area.

Note.—This bye-law shall not generally apply in the bazar area and where the provision of dry area is not feasible, a laxity shall/may be allowed against the hill side.

31. No person shall construct any room to be used as a living or sleeping room unless it is provided for the purpose of a light and ventilation with one or more windows, which with the doors or other apertures shall have a total area equal to not less than one-fourth of the floor area of such room. Every such door or window shall be so constructed that the whole of it can be opened.

32. No person shall construct any room to be used as a living or sleeping room with a superficial floor area of less than 13.39 square metres and unless it is given free circulation of air.

33. (1) In the case of building consisting of a single storey, the height of every room intended for human habitation shall not be less than 255 cm. measured from floor to ceiling.

(2) In the case of a building of more than one storey, including the ground floor, the height of each storey shall not be less than 255 cm. in the case of the ground floor and 240 cm. in case of every other floor.

(3) Every horizontal division of building to construct as to make it habitable shall be considered to be a storey for the purpose of this bye-law even through such division may not extend over the whole depth or width of the building.

(4) For the purpose of this bye-law the height of storeys shall be reckoned as follows :—

(*i*) in the case of a single storey building and of the uppermost storey of a building of more than one storey, from the level of upper surface of the floor at any point along the

walls within the building to the level of the underside of the tie-beam, or if there is no tiebeam to the meeting point of the outside walls and roof;

(*ii*) in the case of any storey except the uppermost storey of a building of more than one storey, from the level of the upper surface of the floor to the level of the upper side of the beams or joints on which the floor above rests; or, if the floor above is ceiled, to the level of the underside of the ceiling; and

(*iii*) in the bazar area and in all other areas which may be considered to be congested areas by the committee every building abutting on the southern side of a street shall be also so constructed as to be within a building angle of not more than 37-1/2 degree in the case of building abutting on other sides of a street a building angle not exceeding 45 degree may be allowed.

Note .—The term building angle means the angle formed between the borizontal line at street level and a line drawn from the higher point of the proposed building to the further edge of the street opposite the proposed building.

34. (*a*) Every building of more than one, but not more than three storeys, including the ground floor, shall be provided with a stair case of a clear and unobstructed width of not less than 90 cm.

(*b*) Every building of more than three storyes including the ground floor shall be provided with a stair case of clear width of not less than 90 cm. for the top storey and one immediately below it and this shall be increased in width by 15 cm. for every lower additional storey, so that in the case of a five storey building the stair case will be 135 cm. wide at the bottom.

(*c*) No step in a stair case shall be more than 18 cm. in height or less than 25 cm. in breadth.

(*d*) Every stair case must be so constructed that the day light will provide adequate illumination in all parts.

35. No passage shall be constructed of a width of less than 105 cm. and every passage connecting two stair cases shall have a clear and undestructed width equal to that required for the wider stair case.

36. No person shall construct any building of more than five storeys including the ground floor, and no person shall consturct any building of more than two such storeys, unless the outer walls of such buildings are made of bricks, stone or reinforced concrete.

37. The floor of every godown intended to be used for the storage of foodgrains shall be made of cement concrete and shall not be less than 15 cm. thick in the case of ground floor but in the case of other floor it shall be of reinforced cement concrete, design of which should approved by the Committee.

38. Buildings required *bonafide* by agriculturists for their own residene or for the purposes of agriculture or for the purposes subservient to agriculture shall be exempted from the operation of these bye-laws :

Provided such buildings are erected or situated within the agricultural holding of the agriculturists or in a *abadideh.*

Note .—"Agriculturist" for the purpose of these bye-laws means a person who earns his living by tilling the land with the limits of the Committee and includes such members of his family as may be dependent upon him.

39. It shall be an offence, in the case of a new building or additions to an old building sanctioned by the committee to occupy or permit the occupation of such a building or addition until a completion certificate is given by the owner and attested by the Municipal Engineer and the

Medical Officer of Health and, if necessary, by the Engineer, Water Works and Drainage and the Electrical Engineer of the committee that the house has actually been constructed according to the sanctioned plan and that no unauthorised additions or deviations have been made. The attestation will be completed and communicated to the owner within 15 days of the receipt of the completion certificate.

FORM "A"

(*See* bye-law No. 1)

(ALL ENTRIES ON OBVERSE TO BE FILLED IN BY THE APPLICANT)

From

.....

.....

To

The Secretary,
Notified Area Committee, Nadaun.

Sir,

I hereby apply under section 200 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 for per mission to erect/re-erect a building as specified in Form "B" attached, situated in.....

I attach the plans, drawings and specification in duplicate as required by the Committee bye-laws.

Signatures.....
Date.....
Specification.....

FORM "A"

(ALL ENTRIES ON REVERSE TO BE FILLED IN BY THE MUNICIPAL OFFICE)

Serial No. of application .....
Site of building (name of street, quarter, etc.).....
Abstract of application .....
Received by the Secretary on .....

Signature of the Secretary.

Returned by Secretary on.....

(Signature)

Submitted to the Committee.....

(Signature of the Secretary).

Abstract of order of the Committee.....

(Signature of the Secretary).

FORM "B"

Specification of proposed building erection/re-erection of entire house, or considerable portion of a house :—

(*a*) in case of re-erection of a house, the house number and of the house to be re-erected .....

(*b*) the purpose for which it is intended to use the building.....

(*c*) the materials to be used in construction of the wall doors and roofs.....

(*d*) the number of storeys of which the building will consist.....

(*e*) the position and dimensions of all doors, windows and ventilation openings.....

(*f*) the approximate number of inhabitants proposed to be accommodated.....

(*g*) the number of latrines to be provided.....

(*h*) whether the site has been built upon before not, to be fit for occupation.....

(*i*) the free passage or way in from top the building.....

(*j*) the space to be left around the building to secure free circulation of air to facilitate scavenging and for the prevention of fire.....

(*k*) the method of disposal of the roof and house drainage of the land.....

(1) the lines of frontage with neighbouring buildings if the buildings abuts on a street.....

(2) in the case of minor alteration or additions.....

(*a*) a description of the alterations or additions proposed.....

(*b*) the material to be used for such alterations or additions.....

Signature.....

Sd/-
Vice-President,
Notified Area Committee, Nadaun,
(Hamirpur), Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Commissioner-cum *Secretary* (LSG).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।